

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- नेहा गिरि, आई.ए.एस.जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 13/2019

(Rcms no: 2019/00023)

उनवानी प्रकरण :-

1. सरनाम सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कहारपुरा मटियावास
तहसील बसेडी जिला धौलपुर _____ अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर—रेस्पोंडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.1.2019 नायव
तहसीलदार बसेडी प्र.सं.04/2018 उनवानी राज0
सरकार बनाम सरनाम अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व
अधि0 1956

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री दिलीप कुमार शर्मा अभिभाषक।

रेस्पोंडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।



निर्णय दिनांक :-17.6.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायव तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 18.1.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का बडरिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नम्बर 123 रकवा 0.50 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित ग्राम मटियावास पर फसल रबी सम्वत् 2075 में अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये व अपीलान्ट को उपस्थित दिखाकर पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये जाकर लगान का 50 गुना शास्ति अपीलान्ट पर अधिरोपित की जाकर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कायदा कानून व रूवेदार सिद्ध होने से लायक खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के

नेहा गिरि

जिला कलक्टर धौलपुर


कब्जे का जो आधार माना है वह गलत व अपर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के एक पक्षीय रूप से बयान लिये गये हैं अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है और ना ही जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो अतिक्रमण बताया है वह अपीलान्ट ने नहीं किया है व प्रार्थी अपीलान्ट का अतिक्रमण निकलता है तो वह छोड़ने को तैयार है। अपीलान्ट को उक्त फैसले के बारे में दिनांक 5.2.2019 को जानकारी हुई जब पुलिस थाना नादनपुर का सिपाही उसको गिरफ्तार करने गया इस प्रकार अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रैस्पोंडेंट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 18.1.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने लगान का 50 गुना जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेंगे इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 निरस्त किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट


ज्योति मिश्रा
जिला क्लर्क धौलपुर




एवं बयान से होती है। अपीलान्ट ने सम्वत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। निर्णय दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था तो उसके न्यायालय से समय की माँग करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई। यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोड़ने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.1.2019 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया। तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 18.1.2019 को उपस्थित था। अपीलान्ट को जबावदेही एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से समय की माँग करनी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि अपीलान्ट ने जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार बसेडी से कराया गया। तहसीलदार बसेडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.5.2019 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।


नेहा मिश्रा
जिला कलक्टर धौलपुर



अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार बसेडी पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायव तहसीलदार बसेडी अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)
नेहनसिंह गिरि
जिला कलक्टर, धौलपुर